SSC FOUNDATION

सम्यान 1.0 बैच

CONSTITUTION

DIRECTIVE PRINCIPLES OF POLICY

(नीति निदेशक तत्व)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE : 12 PM

BY-PAWAN SIR

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

Directive Principles of State Policy / राज्य के नीति निदेशक तत्व

"राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य देश में एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये तत्व राज्य को नीति निर्माण और कानून बनाने में दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते।"

"Directive Principles of State Policy (DPSP) are the guidelines or principles given to the State by the Constitution of India to establish a just society. They are fundamental in the governance of the country but are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by any court."

सरल शब्दों में:

राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत हैं, जो सरकार को यह बताते हैं कि उसे देश के नागरिकों के कल्याण, समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार नीतियाँ बनानी चाहिए।

मौलिक अधिकार बनाम DPSP:

- मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।
- DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
- मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।
- दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।
- DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।

PART 4 / भाग 4 - अनुच्छेद / ARTICLE :- 36 से 51

Directive Principles of State Policy / राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

Borrowed from the Irish Constitution / आयरलैंड के संविधान- Article 45

L Borrowed from the Spanish Constitution

संविधान सभा के सलाहकार (Advisors to the Constituent Assembly)- बी. एन. राउ / B. N. Rau

1. **Socialist Principles (समाजवादी तत्व)- ARTILCE :- 38, 39, 41, 42, 43, 47**

समाजवादी तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य समाज में सामाजिक व आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice) स्थापित करना है।

इनका मकसद एक Welfare State (कल्याणकारी राज्य) की स्थापना करना है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

2.Gandhian Principles (गांधीवादी तत्व)- ARTILCE :- 40, 43, 46, 47, 48, 49 A

गांधीवादी तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन (Philosophy) पर आधारित हैं।

इनका उद्देश्य है – ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायतें, निषेध (prohibition), और समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति।

गांधीजी ने हमेशा ग्राम स्वराज (Village Republic) और स्वावलंबन (Self-reliance) पर जोर दिया था, जिसे संविधान के DPSP में शामिल किया गया।

3. Liberal-Intellectual Principles (उदार-बौद्धिक तत्व)- ARTILCE :- 44, 45, 48, 49, 50, 51

उदारवादी–बौद्धिक तत्व वे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था (Liberal Democratic Order) को मजबूत करना और नागरिकों को बौद्धिक स्वतंत्रता, न्याय और समानता प्रदान करना है।

ये तत्व भारतीय संविधान में पाश्चात्य उदारवादी परंपराओं (Western Liberal Traditions) से प्रेरित हैं।

अनुच्छेद 36 (Article 36) – परिभाषा (Definition)

•इसमें कहा गया है कि भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्वों) में प्रयुक्त शब्द "राज्य" की वही परिभाषा होगी, जो अनुच्छेद 12 (भाग III – मौलिक अधिकार) में दी गई है।

अर्थात् "राज्य" में सम्मिलित हैं / This means the State includes:

1. भारत सरकार और संसद।
   Government and Parliament of India (Union Government).
2. प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल।
   Government and Legislature of each State.
3. स्थानीय निकाय (नगरपालिकाएँ, पंचायतें आदि)।
   All local authorities (like municipalities, panchayats).
4. भारत सरकार के अधीन सभी अन्य प्राधिकरण।
   Other authorities under the control of Government of India.

अनुच्छेद 37 (Article 37) –

नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति (Application of the principles contained in Part IV)

अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) न्यायालय द्वारा बाध्यकारी (enforceable) नहीं हैं।
Article 37 states that the Directive Principles of State Policy (DPSP) are not enforceable by any court of law.

लेकिन वे देश के शासन में मूलभूत (fundamental) माने जाते हैं।
But, they are fundamental in the governance of the country.

राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।
It is the duty of the State to apply these principles in making laws.

सरल शब्दों में, DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे राज्य पर नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से बाध्यकारी हैं।
In short, DPSPs are non-justiciable (cannot be enforced in court) but morally binding on the State.

Article 38 – State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
अनुच्छेद 38 – जनता के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना
लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना

Key Points

1. Welfare of People (जनकल्याण)

The main aim of Article 38 is to establish a welfare state (कल्याणकारी राज्य).

It means the State must work for the overall well-being of citizens – not just material development but also social justice and dignity.

इसका उद्देश्य हर वर्ग के नागरिक को समान अवसर और सम्मान देना है।

2. Directive to State (राज्य के लिए निर्देश)

The State is directed to secure such social order through its laws and policies.

Courts cannot enforce this directly because DPSPs are non-justiciable, but they serve as guiding principles for governance.

3. Social Order Based on Justice (न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था)

Justice is explained in three forms here:

Social Justice (सामाजिक न्याय)

- Removal of inequalities in society.
- Ending discrimination on the basis of caste, gender, religion, etc.
- Providing equal status and opportunities.

Economic Justice (आर्थिक न्याय)

- No concentration of wealth in few hands.
- Equal distribution of resources.
- Protection of workers, farmers, and weaker sections.

Political Justice (राजनीतिक न्याय)

- Equal participation in politics.
- Right to vote, right to contest elections, freedom of expression.
- Ensuring that all citizens have an equal voice in governance.

42nd Constitutional Amendment, 1976 (महत्वपूर्ण संशोधन)

Article 38(2)

The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को घटाने और स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न समूहों के बीच भी।

Key Points

- Income Inequality (आय की असमानता को कम करना)
- अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर घटाना।
- Progressive taxation (प्रगतिशील कर प्रणाली) और redistribution of wealth (धन का पुनर्वितरण) करना।
- Status Inequality (स्थिति की असमानता समाप्त करना)
- जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव खत्म करना।
- सभी को समान सामाजिक दर्जा देना।

3.Facilities Inequality (सुविधाओं में असमानता)

- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का समान वितरण।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाना।

4.Opportunities Inequality (अवसरों में असमानता)

- रोजगार और शिक्षा में समान अवसर।
- कमजोर वर्गों (SC, ST, OBC, महिलाएँ) को विशेष अवसर प्रदान करना।

5.Individuals and Groups (व्यक्ति और समूह दोनों पर लागू)

- न केवल व्यक्ति-व्यक्ति के बीच बल्कि:
    - Different areas (क्षेत्रों के बीच) – जैसे उत्तर-पूर्व, पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण-शहरी असमानता।
    - Different vocations (व्यवसायों के बीच) – किसान, मजदूर, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी आदि।

Article 39 –

Principles of policy such as adequate means of livelihood, equal pay for equal work, protection of workers, children, and health.

जीविका के साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों, बच्चों और स्वास्थ्य की सुरक्षा.

राज्य अपनी नीतियों को विशेष रूप से निम्नलिखित की ओर निर्देशित करेगा–

(क) कि सभी नागरिकों को, स्त्री और पुरुष को समान रूप से, पर्याप्त जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामूहिक हित की सर्वोत्तम सेवा करे;

(ग) कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार न हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हानि का कारण बने;

(घ) कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो;

(ङ) कि श्रमिकों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसाय में न धकेला जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो;

(च) कि बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने और स्वतंत्रता व गरिमा की दशाओं में जीने का अवसर और सुविधा दी जाए तथा बचपन और युवावस्था का शोषण और नैतिक व भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण हो।

The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

(d) that there is equal pay for equal work for both men and women;

(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment.

Article 39 A-

Equal justice and free legal aid / समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, तथा विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके किआर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

यह अनुच्छेद भारत के संविधान 1950 का हिस्सा नहीं था। इसे संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था ।

Article 40-

Organisation of village panchayats / ग्राम पंचायतों का संगठन

Article 40 directs the State to organize village panchayats and give them such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.
It aims to strengthen **local self-government** in rural areas and promote democracy at the grassroots level.

अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करे जिससे वे स्व-शासन (Self-Government) की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाना है।

73rd Constitutional Amendment, 1992

The real implementation of Article 40 became stronger after the **73rd Constitutional Amendment Act, 1992**, which gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions.

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और अनुच्छेद 40 को प्रभावी रूप से लागू किया गया।

Article 41-

काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार

Right to work, to education and to public assistance in certain cases

The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

Article 42-

Provision for just and humane conditions of work and maternity relief
काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान

Key Elements

1.Just and Humane Conditions of Work (न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ)
श्रमिकों को शोषण, असुरक्षित और अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।

Workplaces में:

- सुरक्षित वातावरण (safety measures, fire exits, health facilities)
- उचित कार्य-घंटे (reasonable working hours, rest)
- उचित मजदूरी (fair wages)
- महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल

2. Maternity Relief (मातृत्व लाभ)
महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान छुट्टी, वेतन और चिकित्सा सुविधाएँ मिलनी चाहिए।
यह सुनिश्चित करना कि गर्भवती महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी प्रकार का भेदभाव न झेलना पड़े।

Article 43 –

Living wage and decent standard of life for workers.
श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर

The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन अथवा किसी अन्य प्रकार से सभी श्रमिकों – चाहे कृषि, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार के – के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, कार्य की ऐसी परिस्थितियाँ जो सम्मानजनक जीवन स्तर और अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद सुनिश्चित करें, उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा तथा विशेष रूप से राज्य ग्राम्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करेगा।

Key Elements

1. Living Wage (जीवन निर्वाह योग्य वेतन)

केवल न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) ही नहीं बल्कि इतना वेतन मिले जिससे श्रमिक अपने परिवार को **सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन** दे सके।
इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं।

2. Decent Standard of Life (सम्मानजनक जीवन स्तर)

कार्य की परिस्थितियाँ ऐसी हों जिससे श्रमिक का जीवन स्तर सुधरे।
Basic amenities → स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षा तक पहुँच।

3. Leisure and Cultural Opportunities (अवकाश और सांस्कृतिक अवसर)

श्रमिक केवल कार्य मशीन न बनें।
उन्हें अवकाश और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी मिले।

4. Promotion of Cottage Industries (कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
छोटे स्तर के कुटीर उद्योग (हस्तशिल्प, हथकरघा, घरेलू उद्योग) को बढ़ावा।
Self-reliance (आत्मनिर्भरता) को प्रोत्साहन।

सरकार का कर्तव्य है कि मजदूरों और कर्मचारियों को ऐसा वेतन और वातावरण मिले जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसके अलावा गाँवों में छोटे उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए।

अनुच्छेद 43 को दो प्रकार के नीति निदेशक तत्वों में देखा जाता है:

1. समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principle)
   - श्रमिकों के अधिकार
   - उचित वेतन
   - बेहतर जीवन स्तर
2. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principle)
   - ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा
   - आत्मनिर्भर गाँवों की अवधारणा

Article 43 से जुड़े प्रमुख कानून/योजनाएँ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
मनरेगा (MGNREGA)
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
श्रम कानून सुधार
स्वरोजगार योजनाएँ

Article 43A क्या कहता है?

अनुच्छेद 43A के अनुसार राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे उद्योगों, कारखानों और अन्य संस्थानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यह अनुच्छेद श्रमिकों को केवल मजदूर नहीं बल्कि उद्योग के निर्णयों में सहभागी बनाने पर जोर देता है।

कब जोड़ा गया?

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

कारखाने या कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए।

Article 43B क्या कहता है?

अनुच्छेद 43B राज्य को निर्देश देता है कि वह **सहकारी समितियों (Co-operative Societies)** के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर संचालन को बढ़ावा दे।

कब जोड़ा गया?

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया।

मुख्य उद्देश्य

सहकारी समितियों को मजबूत बनाना
किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को सहायता देना
लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करना

सहकारी समिति के उदाहरण

दुग्ध सहकारी समिति
किसान सहकारी समिति
उपभोक्ता सहकारी समिति
बैंक सहकारी समितियाँ

सरकार ऐसी सहकारी समितियों को बढ़ावा दे जो लोगों द्वारा मिलकर चलाई जाएँ और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें।

Article 44 –

Uniform Civil Code (समान नागरिक संहिता)

The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

Uniform Civil Code (UCC) का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, जो उनके व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) जैसे – विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करे।

- वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग personal laws लागू हैं।

जैसे:

- हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act)
- मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (Shariat Law)
- ईसाई विवाह अधिनियम (Christian Marriage Act)

Objective / उद्देश्य

National Integration (राष्ट्रीय एकता):
विभिन्न धर्मों और समुदायों में समान कानून लागू करना।

Gender Justice (लैंगिक न्याय):
महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना।

Equality Before Law (कानून के समक्ष समानता):
सभी नागरिकों के लिए समान नियम।

Secularism (धर्मनिरपेक्षता):
धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों को समाप्त करना।

राष्ट्रीय एकता (National Integration) को मजबूत करना।

अनुच्छेद 45 – प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा का प्रावधान

Provision for Early Childhood Care and Education

मूल संविधान (Original Constitution, 1950):

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

"राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।"

86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 (86th Constitutional Amendment Act, 2002):

अनुच्छेद 21A जोड़ा गया – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया।

संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 का स्वरूप बदला गया।

"The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years."

"राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।"

अनुच्छेद 46 (Article 46) –

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संवर्धन

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी के साथ उन्नति करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर SC और ST समुदायों के:

- शिक्षा के अवसर बढ़ाए।
- आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएँ बनाए।
- सामाजिक भेदभाव और अन्याय से उनकी रक्षा करे।
- शोषण (Exploitation) के सभी रूपों को रोकने के लिए कदम उठाए।

यह **राज्य के नीति निदेशक तत्वों** **(Directive Principles of State Policy)** का हिस्सा है, इसलिए इसे अदालत में सीधे लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

अनुच्छेद 47 (Article 47) –

पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का संवर्धन

The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों तथा औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य नशीले पदार्थों के उपभोग के निषेध का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह:

- **लोगों के पोषण स्तर (Nutrition Level) को बढ़ाए।**
- **जीवन स्तर (Standard of Living) में सुधार करे।**
- **जन स्वास्थ्य (Public Health) को बेहतर बनाए।**
- **हानिकारक शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने का प्रयास करे**, सिवाय चिकित्सा उपयोग के।

इस अनुच्छेद का उद्देश्य एक स्वस्थ, पोषित और उत्पादक समाज का निर्माण करना है।

महत्व (Significance)

यह अनुच्छेद **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** की अवधारणा को मजबूत करता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण योजनाएँ, मिड-डे मील, आंगनवाड़ी सेवाएँ और नशा-निवारण नीतियाँ इसी अनुच्छेद की भावना पर आधारित हैं।
कई राज्यों ने शराबबंदी संबंधी कानून भी इसी संवैधानिक निर्देश को ध्यान में रखकर बनाए हैं।

It strengthens the concept of a **Welfare State**.
Public health programs, nutrition schemes, mid-day meals, and de-addiction policies are inspired by this Article.
Several states have introduced prohibition laws keeping this constitutional directive in mind.

अनुच्छेद 48 (Article 48) –

कृषि और पशुपालन का संगठन

The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.

राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं की नस्लों के संरक्षण एवं सुधार के लिए तथा उनके वध के निषेध के लिए कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह:

- कृषि (Agriculture) को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करे।
- पशुपालन (Animal Husbandry) को बेहतर बनाए।
- पशुओं की नस्लों का संरक्षण और सुधार करे।
- गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं के वध को रोकने के लिए कानून बनाए।

इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, पशुधन की गुणवत्ता सुधारना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

महत्व (Significance)

कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं।
यह अनुच्छेद पशुधन संरक्षण और कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है।
कई राज्यों के गो-रक्षा एवं गो-वध निषेध कानूनों का संवैधानिक आधार यही अनुच्छेद है।

Agriculture and animal husbandry are key sectors of India's economy.
This Article promotes scientific farming and livestock development.
Many state laws related to cow protection and cattle slaughter prohibition are based on this constitutional directive.

अनुच्छेद 48A (Article 48A) –

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण

The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country.

राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 48A राज्य को निर्देश देता है कि वह:

- पर्यावरण (Environment) की रक्षा करे।
- पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाए।
- वनों (Forests) का संरक्षण करे।
- वन्यजीवों (Wildlife) की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे।

यह अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक महत्व प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A को संविधान में जोड़ा गया।
इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दायित्व बनाना था।
इसी संशोधन द्वारा **अनुच्छेद 51A(g)** के तहत नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण संबंधी मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया।

महत्व (Significance)

पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक।
प्रदूषण नियंत्रण नीतियों को संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
वनों और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा को मजबूत करता है।

Helps maintain ecological balance.
Provides constitutional support for environmental laws.
Promotes conservation of forests and biodiversity.
Strengthens the idea of sustainable development.

अनुच्छेद 49 (Article 49) –

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए प्रत्येक स्मारक, स्थान या कलात्मक अथवा ऐतिहासिक महत्व की वस्तु को विकृति, क्षति, विनाश, हटाए जाने, बेचे जाने या देश से बाहर ले जाए जाने से संरक्षण देना राज्य का दायित्व होगा।

अनुच्छेद 49 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह:

- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करे।
- उन्हें नुकसान पहुँचाने, तोड़ने, विकृत करने या नष्ट करने से बचाए।
- उनकी अवैध बिक्री या विदेशों में तस्करी (export) को रोके।
- भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखे।
- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे:- Taj Mahal , Qutub Minar , Red Fort

का संरक्षण इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप किया जाता है।

महत्व (Significance)

भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण।
पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण को संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
पर्यटन, इतिहास और संस्कृति के विकास में योगदान देता है।

Helps preserve India's cultural and historical identity.
Provides constitutional support for heritage conservation.
Promotes tourism, historical research, and cultural awareness.

अनुच्छेद 50 (Article 50) –

न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह न्यायपालिका (Judiciary) को कार्यपालिका (Executive) से अलग रखे।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
- न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य करें।
- न्यायाधीशों पर सरकार या प्रशासन का दबाव न हो।
- निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय मिल सके।
- लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) बनी रहे।

यदि किसी जिले का प्रशासन (Executive) और न्यायालय (Judiciary) एक ही अधिकारी के नियंत्रण में हों, तो निष्पक्ष न्याय प्रभावित हो सकता है।

अनुच्छेद 50 के कारण:
- प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन चलाते हैं।
- न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान करते हैं।

महत्व (Significance)

न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
यह अनुच्छेद न्यायाधीशों को राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाता है।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विधि के शासन (Rule of Law) को मजबूत करता है।

Judicial independence is a cornerstone of Indian democracy.
It protects judges from political and administrative interference.
Helps safeguard Fundamental Rights.
Strengthens the Rule of Law.

अनुच्छेद 51 (Article 51) – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन

The State shall endeavour to—

(a) promote international peace and security;

(b) maintain just and honourable relations between nations;

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another; and

(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

राज्य प्रयास करेगा कि—

(क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे;

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधियों के दायित्वों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करे; तथा

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता (Arbitration) को बढ़ावा दे।

महत्व (Significance)

भारत की विदेश नीति के आदर्शों को दर्शाता है।
विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है।
युद्ध के स्थान पर शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है।

Reflects the ideals of India's foreign policy.
Promotes global peace and cooperation.
Encourages peaceful settlement of disputes rather than war.
Aligns with the objectives of the United Nations.

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth
www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**